ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.-230-232**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

महिला सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका

डॉ0 उमा शंकर सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, के0बी0पी0जी0 कालेज, मीरजापुर (उ0प्र0) भारत

Received-14.08.2024, Revised-21.08.2024, Accepted-28.08.2024 **E-mail : ussingh67@gmail.com**

सारांशः ***महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं की पुरूषों के बराबर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं वैधानिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने एवं जीवन निर्वहन की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार करने में सक्षम एवं आत्म निर्भर हों और उनके अन्दर आत्म विश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।***

कुंजीभूत शब्द– महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आत्म विश्वास, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर, सामाजिक आर्थिक स्थिति

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण की गति प्रदान करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण एवं आवश्यक शर्त है जिसका अर्थ है– महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम एवं आत्मनिर्भर होना। इस हेतु महिलाओं के पास रोजगार का होना आवश्यक है। जिसके लिए ग्रामीण भारत में मनरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मनरेगा ने महिलाओं की आर्थिक संसाधनों और वेतन भोगी कार्यो तक पहुँच में सुधार किया है। जिससे ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 : यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की आजीविका उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम कमजोर वर्गो के पुरूषों तथा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराता है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रोजगार को संसद के अधिनियम के माध्यम से कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ हैं–

1. समुचित जाँच पड़ताल के बाद ग्राम पंचायत, कार्य करने के लिए इच्छुक लोगों को बिना किसी शुल्क के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध कराती है।
2. गाँवों में रहने वाले परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल मजदूर के रूप में कार्य करना चाहे,. वे स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. मजदूरी प्रतिदिन की दर से अथवा नगद दर के अनुसार पुरूष एवं महिला को समान दी जाती है और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाता है। यह भुगतान किसी भी दशा में 15 दिन से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
4. इस योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों में मुख्यतः जल एवं मृदा संरक्षण, वनरोपण और भूमि विकास से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।
5. मंजूर परियोजना का न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम–पंचायत अपनी देख–रेख में सम्पन्न करवाती है।
6. कार्य स्थल पर शिशु–गृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है।
7. मनरेगा अधिनियम के तहत पंजीकृत आवेदको में से न्यूनतम 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
8. आवेदक को रोजगार उसके गाँव की 5 किमी. की सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाता है। यदि आवेदक को रोजगार इसके गाँव से 5 किमी से दूर उपलब्ध कराया जाता है तो परिवहन व्यय के लिए मजदूरी से 10 रुपये अधिक अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।
9. इसमें यह प्रावधान है कि आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर यदि रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तो कार्ड धारक को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
10. ग्राम पंचायत लिखित रूप में प्राप्त आवेदन के बाद तिथि सहित पावती जारी करती है जिसके 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड धारक को गारंटी से रोजगार प्रदान करती है।
11. जॉब कार्ड धारक आवेदक काम पाने के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन दे सकता है। इस समस्या के तहत ग्रामीण व्यक्ति महीने में न्यूनतम 14 दिन की मजदूरी प्राप्त करने का हकदार है।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेरोजगारी उन्मूलन अधिनियम मनरेगा के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किये गये योगदान एवं मनरेगा कार्यक्रम की समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है।

पद्धतिशास्त्र : प्रस्तुत शोध–पत्र ''महिला सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका'' द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण एवं स्तरीय साहित्यों, जर्नल, शोध–प्रपत्रों आदि का प्रयोग कर उसमें उपलब्ध कथनों, तथ्यों एवं आंकड़ो के आधार पर एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए वर्णनात्मक शोध प्रारूप को आधार बनाया गया है। जिसका प्रमुख उद्देश्य, महिलाओं की प्रस्थिति का अध्ययन करना तथा मनरेगा के माध्यम से उनमे आये परिवर्तन को जानने का प्रयास किया गया है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका : मनरेगा अधिनियम के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति में प्रमुखतः निम्नलिखित परिवर्तन आये हैं।

- मनरेगा श्रमिक महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार पर निर्भरता कम हुई है।
- बाहर काम करने से राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है।
- मनरेगा महिला श्रमिको के मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाते में होता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार में उनकी आर्थिक सहभागिता में वृद्धि हुई है।
- मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों की एकल महिलाओं (जैसे– विधवा, तलाक शुदा, आपदा से ग्रसित) को रोजगार के साधन उपलब्ध कराया है जिन्हे पेंशन प्राप्त नहीं होती है।
- मनरेगा में महिला श्रमिको की भागीदारी बढ़ रही है।

मनरेगा कार्यक्रम की चुनौतियाँ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम– 2005 को लागू करके सरकार ने ग्रामीणों को काम करने का कानूनी अधिकार प्रदान करने के कुछ समय पश्चात ही इसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न राज्यों में देखने को मिले परन्तु मनरेगा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी आ रही हैं, जो इस कार्यक्रम को प्रभावित करती हैं तथा महिला श्रमिकों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं–

- कुछ अध्ययन दर्शाते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम को भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया है। जिसमें ग्राम प्रधान तथा पंचायत मित्र अपने चहेतों से समझौता करते हैं कि हमे मजदूरी का लगभग 75 प्रतिशत धनराशि वापस चाहिए। इस प्रकार महिला श्रमिकों के बैंक खाते में गलत तरीके से मजदूरी भुगतान करके तय धनराशि को नगदरूप में लेते हैं।
- ग्रामीण जनता व ग्राम सभा के सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच स्वस्थ्य समाजिक अन्तः क्रिया का आभाव है।
- मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत प्रवधान है कि शिशु पालन गृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना है। परन्तु महिला श्रमिकों ने उनके कार्य स्थल पर इस सुविधा के आभाव के चलते कुछ महिला श्रमिक मनरेगा में कार्य करने नहीं जाती हैं।
- अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक महिलाओं को अनेक सुविधायें प्रदान की गई है। जैसे–स्वच्छ जल, छायादार वृक्ष, फस्टेड वॉम्स आदि परन्तु कुछ अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि स्वच्छ जल के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है।
- मजदूरी भुगतान समय से (15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान) न दे पाने के कारण महिला श्रमिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि महिला परिवार में अकेले जीविकोपार्जन करने वाली होती है तो समस्या और बढ़ जाती है।
- इसके अलावा महिला श्रमिकों में जागरूकता का अभाव, उनकी साक्षरता का निम्न स्तर एवं परिवार पर आर्थिक निर्भरता भी उनकी सहभगिता को प्रभावित करती है।

सुझाव : उपर्युक्त समस्याओं के निदान के लिये निम्न प्रयास किये जा सकते हैं–

- मानरेगा कार्यक्रम की पारदर्शीता व जवाबदेही बनाये रखने के लिये सोशल आडिटिंग में सक्रियता लाने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण जनता में कार्यक्रम से सम्बधित राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता का विकास होना चाहिये।
- चाईल्ड केयर केसीलिटी को बढ़ाया जाना चाहियें।
- अन्य जरूरी सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
- मजदूरी भुगतान के तरीकों में बदलाव लाना चाहिये। गाँव से बैंक दूर होने के कारण महिलाओं को भुगतान प्राप्ति में रामस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ महिला श्रमिको का गाँव के प्रधान एवं पंचायत मित्र के लोग मोबाइल बैकिंग के माध्यम से मजदूरी की धनराशि निकालने के समय भष्ट्राचार करते हैं। इसके के लिये महिला श्रमिकों को जागरूक करना होगा। (सरकार व श्रमिको के बीच अन्य व्यक्ति का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये।)

निष्कर्ष : मनरेगा अधिनियग महिलाओं की विभिन्न तरीकों से उनकी समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को समाप्त करने में प्रभावी हो रहा है। समान वेतन मजदूरी ने (स्त्री–पुरूष में समानता रखकर), लैंगिक असमानता जैसी समस्या को कम करके महिला श्रमिकों को सामाजिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया है। समान मजदूरी भुगतान (मजदूरी दर को स्त्री–पुरूष में समानता रखकर) के साथ गारंटीयुक्त दैनिक रोजगार के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। महिलाओं का व्यक्तिगत विकास के साथ सामुदायिक रूप से भी विकास हुआ है। व्याक्तिगत रूप में वे आत्मनिर्भर बनी हैं। अब वे स्वयं की आवश्यकताओं पर खर्च कर रही हैं। परिवार में आर्थिक सहभगिता में भी वृद्धि होने के साथ नीति निर्णयन की क्षमता में विकास हुआ हैं। वही सामुदायिक विकास में जहाँ उनकी समाजिक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

अन्तःक्रिया बढ़ी है वे दूसरी तरफ राजनीतिक रूप में सशक्त हुई है। जहॉ ग्रामसभा में उनकी उपस्थिति बढ़ी हैं। वही ग्राम सभाओं में उनकी बोलने की सहभगिता बढ़ी हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. रावत,हरिकृष्ण (2013). सामाजिक शोध की विधियाँ. जयपुर : रावत पब्लिकेशन.
2. दुबे,आर.के. (2007). गांवों की बदलती तस्वीर. कुरूक्षेत्र. अक्टूबर 2007. पृष्ठसं0–30–32.
3. सिन्हा, बी0के0 (2014). ग्रामीण आधार भूत संरचना की रीढ़ मनरेगा. कुरूक्षेत्र. मार्च 2014. पृष्ठ–11–14.
4. पाण्डेय, जीतेन्द्र कुमार (2006). महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका. कुरूक्षेत्र. अगस्त 2006. पृष्ठ 30–31.
5. पंडित, कामेश्वर एवं सिंह, अखिलेश कुमार (2007). राष्ट्रीय गारंटी कानून : ग्रामीण नियोजन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम. कुरूक्षेत्र सितम्बर 2007. पृष्ठ– 20–21.
6. प्रियंका (2014). दलित महिला सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका. शोध दर्पण रिसर्च जर्नल. दिसम्बर 2014. पृष्ठ 46–51.
7. मोदी, अनिता (2007). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना : एक विश्लेषण. कुरूक्षेत्र. सितम्बर 2007. पृष्ठ 35–36.
8- प्रियंका (2019). मनरेगा में संलग्न महिला श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशाएं (अप्रकाशित पी–एच0डी0 शोध प्रबन्ध). काशी हिन्दू विश्वविद्यालय. वाराणसी.

*****